कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांक–शिविरा–मा / माध्य / अ–I / आदर्श विद्यालय / 21312 / वो–2 / 2014 दिनांक– 01.06.15

(1) समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
(माध्यमिक–प्रथम / द्वितीय)

विषय :– भामाशाहों / दानदाताओं हेतु विभागीय सम्मान समारोह के संबंध में दिशा–निर्देश।

प्रसंग :– शासन का पत्रांक–प.4(6)शिक्षा–1 / 2014 दिनांक–12.5.2015

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि शासन के प्रासंगिक पत्र द्वारा पंचायत स्तर पर आदर्श विद्यालय स्थापित करने हेतु प्रसारित दिशा निर्देशों के बिन्दु सं. 3.8.7 के कम में जिला स्तर पर दानदाताओं / भामाशाहों को जिला स्तरीय कार्यक्रम में सम्मानित किये जाने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश प्रेषित किये जा रहे है। उक्तानुसार पालना सुनिश्चित करें।

संलग्न–यथोपरी

(सुवालाल)

निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

भामाशाहों/दानदाताओं हेतु जिला स्तरीय सम्मान समारोह के संबंध में दिशा–निर्देश

भामाशाहों/दानदाताओं को प्रति वर्ष 28 जून को भामाशाह जयन्ती के अवसर पर राज्य स्तर पर सम्मानित किये जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा दिशा–निर्देश जारी किये गये हैं। इन दिशा–निर्देशों के अनुरूप शिक्षा के क्षेत्र में राजकीय विद्यालयों/ राजकीय शिक्षण संस्थाओं के शैक्षिक, सह शैक्षिक एवं भौतिक विकास के लिए **10 लाख या इससे अधिक धन राशि का सहयोग देने वाले** दानदाताओं/ट्रस्ट/संस्था/कम्पनी को **राज्य स्तरीय समारोह में** सम्मानित किया जाता है। इसी प्रकार **30 लाख रूपये** या इससे अधिक धन राशि का सहयोग शाला को देने वाले भामाशाहों/दानदाताओं को **प्रेरित करने वाले व्यक्तियों को** भी इसी समारोह में सम्मानित किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह हेतु निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त है।

उक्त सम्मान समारोह का मुख्य उद्देश्य स्थानीय जन समुदाय का विद्यालय से जुड़ाव एवं शाला विकास एवं प्रबन्धन समिति तथा शिक्षक–अभिभावक परिषद् की बैठकों में अधिकाधिक भागीदारी को बढावा देना है ताकि स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं का विकास जन सहयोग से विद्यार्थी हित में किया जा सके।

बजट अभिभाषण वर्ष 2015–16 में प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक विद्यालय को आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित करने की घोषणा की क्रियान्विति हेतु राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के बिन्दू संख्या 3.8.7 में जिला स्तर पर भी भामाशाहों/दानदाताओं को सम्मानित किये जाने का निर्णय लिया गया है। इस क्रम में माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीन संचालित विद्यालयों के विकास में सहयोग देने हेतु भामाशाहों/दानदाताओं को जिला स्तर पर सम्मानित करने हेतु निम्नानुसार दिशा–निर्देश एतद् द्वारा जारी किये जाते हैं :–

(अ) पात्रता एवं प्रक्रिया :–

1. भामाशाह/दानदाता को **शाला मित्र** एवं भामाशाह/दानदाता को प्रेरित करने वाले व्यक्ति को **शाला प्रेरक** के नाम से सम्बोधित किया जायेगा एवं जिला स्तरीय सम्मान समारोह में सम्मानित किये जाने हेतु दोनों ही पात्र होंगे एवं संबंधित को शाला मित्र/शाला प्रेरक की उपाधि से सम्मानित किया जायेगा।
2. शाला मित्र के लिए न्यूनतम 05 लाख रूपये से 10 लाख रूपये तक की राशि/सामग्री/भूमि–भवन के रूप में विद्यालय को सहयोग करने वाले तथा प्रेरक के रूप में न्यूनतम 15 लाख रूपये की राशि के सहयोग की प्रेरणा देने वाले व्यक्ति आवेदन हेतु पात्र होंगे। 05 लाख रूपये तक का सहयोग करने वाले भामाशाह/दानदाता स्वतन्त्रता दिवस पर ग्राम पंचायत/शहरी क्षेत्र मे वार्ड स्तर के कार्यक्रम में सम्मानित किये जायेगे। कार्यक्रम आयोजन का उत्तरदायित्व ग्राम पंचायत स्तरीय आदर्श विद्यालय/शहरी क्षेत्र में वार्ड में स्थित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा नामित विद्यालय के संस्था प्रधान का होगा।
3. दान एवं सहयोग राशि के लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग के किसी एक विद्यालय को एक इकाई माना जायेगा।
4. दान/सहयोग हेतु गत वित्त वर्ष की अवधि को आधार माना जायेगा। जिला स्तरीय सम्मान समारोह भी 15 अगस्त को मनाया जायेगा।
5. जिन जिलों में दो जिला शिक्षा अधिकारी कार्यरत हैं, वहाँ जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक–प्रथम) उक्त योजना हेतु नॉडल अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे तथा जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक–द्वितीय) अपने क्षेत्राधिकार में प्राप्त प्रस्तावों को परीक्षणोपरान्त पात्र पाए जाने की स्थिति में जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक–प्रथम) को अग्रेषित करेंगे। कार्यक्रम जिला कलक्टर के दिशा निर्देशन में आयोजित किया जायेगा।

6. कार्यक्र में जिला मुख्यालय के शहरी निकाय एवं जिला परिषद् के निर्वाचित जनप्रतिनिधि यथा सभापति/अध्यक्ष, शहरी निकाय व जिला प्रमुख, जिला परिषद् को आवश्यक रूप से आमन्त्रित किया जायेगा।

(ब) आवेदन पत्र :–

जिला स्तरीय सम्मान हेतु संबंधित शाला मित्र (भामाशाह/दानदाता) एवं संबंधित शाला प्रेरक को निर्धारित समय में आवेदन पत्र जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक को नियत समय सारणी के अनुरूप प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। शाला मित्र हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप परिशिष्ठ–1 तथा शाला प्रेरक हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप परिशिष्ठ–2 के अनुसार निर्धारित है।

(स) समय सारणी :–

1	आवेदन पत्र प्रस्तुत करना	15 अप्रेल से 30 अप्रेल
2	आवेदन की संवीक्षा एवं जांच	15 मई तक
3	जिला स्तरीय चयन समिति की बैठक का आयेजन	जुलाई प्रथम सप्ताह तक
4	शाला मित्र एवं शाला प्रेरक का चयन	15 जुलाई तक
5	जिला कलक्टर को आवश्यक प्रस्तावों का प्रेषण	31 जुलाई तक

(द) चयन समिति :–

शाला मित्र/शाला प्रेरक के चयन हेतु निम्नानुसार चयन समिति पात्र व्यक्तियों के चयन हेतु अधिकृत होगी :–

1	जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)	अध्यक्ष
2	जिला मुख्यालय पर स्थित उच्च माध्यमिक विद्यालय का प्रधानाचार्य (जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा मनोनीत)	सदस्य
3	जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में कार्यरत शैक्षिक प्रकोष्ठ अधिकारी (जिले के लिए प्रत्येक पंचायत समिति से अधिकतम 03 शाला मित्र एवं शाला प्रेरको तथा प्रत्येक शहरी निकाय से 1–1 शाला मित्र व 1–1 शाला प्रेरक का चयन किया जायेगा।)	सदस्य सचिव

(य)सम्मान का स्वरूप :–

1. जिला स्तरीय समारोह में सम्मानित होने वाले शाला मित्र/शाला प्रेरक को सम्मान स्वरूप प्रदत्त सामग्री निम्न प्रकार से होगी :–

   अ. **प्रमाण पत्र :–** जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा एवं जिला कलक्टर/उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा द्वारा हस्ताक्षरित।

   ब. **प्रतीक चिन्ह :–** प्रतीक चिन्ह/समृति चिन्ह, शॉल आदि की व्यवस्था उपलब्ध बजट प्रावधान के अनुसार जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा अपने स्तर पर करेंगे।

2. सम्मानित होने वाले दानदाताओं को अग्रांकित प्रारूप–1 में एवं प्रेरकों को प्रारूप–2 में प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया जायेगा।

(प्रारूप–1)

:: जिला स्तरीय समारोह में सम्मानित होने वाले दानदाताओं के लिए प्रशस्ति पत्र का प्रारूप ::

(मोहर अशोक चिन्ह)
सत्यमेव जयते
राजस्थान–सरकार
माध्यमिक शिक्षा विभाग

–:: प्रशस्ति पत्र::–

श्री/श्रीमती/सुश्री .....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.....
निवासी(पता)..... द्वारा.....(विद्यालय का नाम) को राशि रूपये .....के प्रदत्त सहयोग हेतु दानदाता/भामाशाह को अभिनन्दन स्वरूप "शाला मित्र" की उपाधि से विभूषित किया जाता है।

हस्ता.
जि.शि.अ.(मा.शि.)

हस्ता.
जिला कलक्टर/

स्थान.....
दिनांक : 15 अगस्त, 2016

(प्रारूप–2)

:: जिला स्तरीय समारोह में सम्मानित होने वाले प्रेरकों के लिए प्रशस्ति पत्र का प्रारूप ::

(मोहर अशोक चिन्ह)
सत्यमेव जयते
राजस्थान–सरकार
माध्यमिक शिक्षा विभाग

–:: प्रशस्ति पत्र::–

श्री/श्रीमती/सुश्री .....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.....
निवासी(पता)..... द्वारा.....(विद्यालय का नाम) को राशि रूपये .....का सहयोग प्रदान करने हेतु दानदाता/भामाशाह को प्रेरित करने के योगदान स्वरूप "शाला प्रेरक" की उपाधि से विभूषित किया जाता है।

हस्ता.
जि.शि.अ.(मा.शि.)

हस्ता.
जिला कलक्टर

स्थान.....
दिनांक : 15 अगस्त, 2016

जिला स्तरीय भामशाह सम्मान समारोह हेतु आवेदन–पत्र

जिला .....मंडल का नाम.....

पासपोर्ट साईज का फोटो

1. शाला मित्र का नाम .....

2. पिता/पति का नाम .....

3. जाति .....

4. जन्म तिथि .....

5. मूल निवास स्थान व स्थाई पता .....
.....

6. वर्तमान कार्य क्षेत्र का स्थान व पूर्ण पता .....
.....

7. पत्र व्यवहार हेतु पूर्ण पता(विभाग द्वारा समस्त पत्र व्यवहार इसी पते पर ही किये जायेगे).....
.....

8. सम्पर्क हेतु दूरभाष नं.....मोबाईल नं.....

9. शैक्षणिक योग्यता .....10. व्यवसाय का विवरण .....

11. विद्यालय का नाम जिसके लिये सहयोग किया गया .....

12. प्रदत्त सहयोग की राशि .....

13. . प्रदत्त सहयोग की अवधि/वर्ष .....

14. . प्रदत्त सहयोग का विवरण.....
.....

15. संक्षिप्त जीवन परिचय एवं पूर्व में विभाग को प्रदान किये गये सहयोग का विवरण .....

(आवश्यकता होने पर पृथक से संलग्न किया जा सकता है)

हस्ताक्षर शाला मित्र

दिनांक..... .....

संस्था प्रधान द्वारा अभिशंषा मय प्रमाणीकरण

" प्रमाणित किया जाता है कि शाला मित्र द्वारा उल्लेखित सहयोग राशि की पुष्टि संबंधित दस्तावेज से कर ली गई है। उपरोक्त विवरण सही है, गलत पाये जाने पर अधोहस्ताक्षरकर्ता का उत्तरदायित्व होगा ।

संस्था प्रधान के हस्ताक्षर
(गय मोहर)

जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अभिशंषा मय प्रमाणीकरण

"प्रमाणित किया जाता है कि शाला मित्र द्वारा उल्लेखित राशि की पुष्टि संबंधित दस्तावेज से कर ली गई है, शाला मित्र के प्रस्ताव की जांच करली गई है। जांच उपरान्त उपरोक्त उल्लेखित विवरण सही पाये गये हैं, अतः इनका शाला मित्र सम्मान के लिए चयन की अभिशंषा की जाती है।

हस्ताक्षर
जि.शि.अ.(मय मोहर)

जिला स्तरीय भामशाह सम्मान समारोह में प्रेरक के रूप में सम्मानित किए जाने हेतु आवेदन–पत्र

जिला .....मंडल का नाम.....

पासपोर्ट साईज का फोटो

1. शालाप्रेरक का नाम .....
2. पिता/पति का नाम .....
3. जाति .....
4. जन्म तिथि .....
5. मूल निवास स्थान व स्थाई पता .....
6. वर्तमान कार्य क्षेत्र का स्थान व पूर्ण पता .....
7. पत्र व्यवहार हेतु पूर्ण पता(विभाग द्वारा समस्त पत्र व्यवहार इसी पते पर ही किये जायेगे).....
8. सम्पर्क हेतु दूरभाष नं.....मोबाईल नं.....
9. शैक्षणिक योग्यता ..... 10. व्यवसाय का विवरण .....
11. विद्यालय का नाम, जिसमें सहयोग हेतु दानदाताओं को प्रेरित किया गया .....
12. प्रेरित किए गए दानदाता/दानदाताओं एवं सहयोगार्थ प्रदत्त राशि/सामग्री का पृथक्–पृथक् विवरण .....
13. प्रदत्त सहयोग की कुल राशि .....
14. प्रदत्त सहयोग की अवधि/वर्ष .....
15. संक्षिप्त जीवन परिचय एवं पूर्व में विभाग को प्रदान किये गये सहयोग का विवरण .....

(आवश्यकता होने पर पृथक् से संलग्न किया जा सकता है)

हस्ताक्षर शाला प्रेरक

दिनांक.....

स्थान .....

संस्था प्रधान द्वारा अभिशंषा मय प्रमाणीकरण

"प्रमाणित किया जाता है कि शाला प्रेरक द्वारा उल्लेखित दानदाताओं एवं उनके द्वारा प्रदत्त सहयोग राशि की पुष्टि संबंधित दस्तावेज से कर ली गई है। दानदाताओं द्वारा लिखित रूप में प्रेरक के रूप में इनके नाम का उल्लेख किए जाने पर शाला प्रेरक के रूप में सम्मानित किए जाने हेतु इनके नाम की अभिशंषा की जा रही है ।" उपरोक्त विवरण सही है, गलत पाये जाने पर अधोहस्ताक्षरकर्ता का उत्तरदायित्व होगा ।

संस्था प्रधान के हस्ताक्षर(मय मोहर)

जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अभिशंषा मय प्रमाणीकरण

"प्रमाणित किया जाता है कि दानदाताओं द्वारा विद्यालय को प्रदान किए गए सहयोग हेतु प्रेरक के रूप में दानदाताओं द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र की पुष्टि के अधार पर इनका शाला प्रेरक सम्मान के लिए चयन की अभिशंषा की जाती है।

हस्ताक्षर
जि.शि.अ.(मय मोहर)